फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

लक्ष्मन सिंह बनाम उदयभान सिंह वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली नम्बर 50 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.07.2024	प्रार्थी अभिभाषक श्री बच्चू सिंह पीपला द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उनवानी **लक्ष्मन सिंह बनाम उदयभान सिंह वगै0** विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी बयाना पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी हो। प्रार्थना पत्र की प्रति उपखण्ड अधिकारी बयाना को भेजकर टिप्पणी तलब हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 21.08.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर भरतपुर	542 / 26/7/24 टिप्पणी तलब 564 / 31/7/24 नोटिस जारी
21/8/24	अभिभाषक संघ द्वारा अदालती कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी दीगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/9/24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
4/9/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जारी नोटिस तामील अथवा अदम तामील वापस प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी आयन्दा दिनांक 25/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर भरतपुर	
25/9/24	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र श्री राजीव शर्मा SDM बयाना के विरुद्ध पेश किया गया था। चूंकि अब श्री राजीव शर्मा का स्थानान्तरण SDM बयाना के पद से अन्यत्र/SDM भरतपुर के पद पर हो गया है इस कारण मुन्त. प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है अतः प्र.पत्र प्रभावहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर भरतपुर	